न्यायालय,सत्र न्यायाधीश,
पूर्वी चम्पारण, मोतिहारी।

<u>अग्रिम जमानत आवेदन संख्या–1194/2026</u>

उपस्थित :– अभिषेक कुमार दास
सत्र न्यायाधीश,
पूर्वी चम्पारण, मोतिहारी।

1. सुरेन्द्र महतो वल्द स्व0 रामेश्वर महतो उम्र करीब 51 वर्ष
2. गुड्डु कुमार वल्द सुरेन्द्र महतो उम्र करीब 23 वर्ष

ग्राम– सिंधिया हीबन, थाना–बंजरिया, जिला–पूर्वी चम्पारण ....आवेदकगण ।
बनाम
बिहार सरकार ....विपक्षी ।

आवेदकगण की ओर से – श्री मनीष कुमार ,विद्वान अधिवक्ता ।
अभियोजन की ओर से – श्री खूबलाल प्रसाद,
विद्वान लोक अभियोजक।

आदेश

17.03.2026 यह अग्रिम जमानत आवेदन आवेदक/अभियुक्तगण सुरेन्द्र महतो एवं गुड्डु कुमार की ओर से बंजरिया थाना कांड संख्या–72/2026 , धारा–126(2), 303(2),109, 74, 351(2), 352/3(5),115(2) बी.एन.एस. में अपनी गिरफ्तारी की आशंका होने पर दाखिल किया गया है।

अभियोजन घटना इस प्रकार है कि सूचिका कौशिल्या देवी का कथन है कि दिनांक 22.01.2026 को वह अपने दरवाजा पर बैठी थी उसी समय सुरेन्द्र महतो, महंथ महतो, दीपक महतो , गुड्डु कुमार अपने–अपने हाथ में गड़ासा, लोहा का रड, लाठी, मुअरी से लैस होकर उसके दरवाजा पर आकर गाली–गलौज करने लगा मना करने पर सभी एक राय करके पुरानी साजिश के तहत उसे जान मारने की नियत से उसके उपर हमला कर दिए सुरेन्द्र महतो गड़ासा से उसके सर पर चलाया जिससे सर कट गया वह गिर गई तब महंथ महतो उसका बाल पकड़ कर घसीटने लगा जिससे उसके कमर वो पीठ पर दर्द है, घसीटने से उसके शरीर पर का कपड़ा फट गया, जिससे उसकी स्त्री लज्जा भंग हो गयी। वह उठ कर खड़ा होना चाही तब दीपक महतो ने रड से मारा जिससे उसके पूरे शरीर में गहरा चोट वो जख्म है, गुड्डु कुमार लाठी से उसे शरीर पर मारा लात व मुक्का से मारा जिससे उसके पेरू पर दर्द है मारपीट के

कम में उसके गर्दन से सोना का मंगल सूत्र चोरी की नियत से नोच लिया।

अग्रिम जमानत आवेदन की कंडिका–2, में कहा गया है कि आवेदकगण के द्वारा पूर्व में अन्य कोई नियमित/अग्रिम जमानत आवेदन इस न्यायालय में या माननीय उच्च न्यायालय में दाखिल नहीं किया गया है तथा कंडिका–3 में कहा गया है कि आवेदकगण का कोई आपराधिक इतिहास दर्ज नहीं है।

आवेदक/अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा अग्रिम जमानत आवेदन में कथन किया गया है कि आवेदकगण निर्दोष है, उसे रास्ता के विवाद को लेकर इस मामले में झूठा आरोपित किया गया है। धारा–109, 74, 303(2) बी.एन.एस. को छोड़कर शेष धाराएं जमानतीय है। धारा– 109 बी.एन.एस. का आरोप स्पष्ट रूप से अभियुक्त सुरेन्द्र महतो के विरूद्ध लगाया गया है, जिसके द्वारा सूचिका को गड़ासा से सर पर मारपीट करने का आरोप है लेकिन सूचिका को इस प्रकार का कोई कारित नहीं हुआ है। इसलिए आवेदकगण के विरूद्ध धारा– 109 बी.एन.एस. का आरोप नहीं बनता है। धारा–74 बी.एन.एस. का स्पष्ट आरोप सह अभियुक्त महंथ महतो के विरूद्ध लगाया गया है। धारा–303(2) बी.एन.एस. का आरोप अलंकार के रूप में जोड़ा गया है। यह मामला बंजरिया थाना कांड संख्या– 73/2026 का पलटा मामला है। आवेदकगण को आशंका है कि पुलिस उन्हें गिरफ्फतार कर लेगी। अतः जमानत पर छोड़े जाने की प्रार्थना की गयी है।

विद्वान लोक अभियोजक द्वारा अग्रिम जमानत आवेदन का विरोध किया गया।

उभय पक्षों को सुना। प्राथमिकी की सच्ची प्रमाणित प्रति एवं केस डायरी की अभिप्रमाणित प्रति का अवलोकन किया, जिससे प्रतीत होता है कि आवेदकगण प्राथमिकी में नामित अभियुक्त है । आवेदकगण के विरूद्ध अन्य अभियुक्तों के साथ मिलकर सूचिका को गड़ासा, लोहा के रड एवं लाठी से मारपीट कर जख्मी कर देने का आरोप है। कांड दैनिकी की कंडिका– 34 में सूचिका का जख्म प्रतिवेदन अंकित है, जिसमें चिकित्सक की राय में जख्मी के सर के दाएं तरफ 2cm x 1/2cmx 1/2cm का कटा हुआ जख्म पाया जाना अंकित है, जिसे कठोर एवं भोथरे वस्तु से कारित होना बताया गया है। अब उभय पक्षों के बीच मामला सुलह हो गया है तथा उभय पक्षों की ओर से हस्ताक्षरित एवं अंगूठे के निशान से समर्थित फोटोयुक्त सुलहनामा आवेदन एवं सुलह करने हेतु अनुमति आवेदन की सच्ची प्रमाणित प्रति दाखिल किया गया है, जिसे उभय पक्षों के

विद्वान अधिवक्ता द्वारा अभिप्रमाणित किया गया हैं कांड दैनिकी की कंडिका–25 के अनुसार आवेदकगण का कोई आपराधिक इतिहास होना अंकित नहीं है। उभय पक्षों के बीच पलटा मुकदमा बंजरिया थाना कांड संख्या– 73/2026 चल रहा है।

अतः उपरोक्त तथ्यों, प्राथमिकी में आवेदकगण के विरूद्ध आरोप की प्रकृति, सूचिका को कारित जख्म की साधारण प्रकृति, आवेदक का पूर्व स्वच्छ आपराधिक वृति, उभय पक्षों के बीच चल रहे पलटा मुकदमा एवं उभय पक्षों के बीच स्थापित मधुर संबंध को ध्यान में रखते हुए आवेदक/अभियुक्तगण की ओर से दाखिल अग्रिम जमानत आवेदन को स्वीकृत किया जाता है तथा आवेदक/अभियुक्तगण सुरेन्द्र महतो एवं गुड्डु कुमार को आदेश प्राप्ति के एक माह के अन्दर विद्वान अधीनस्थ न्यायालय में मो0 10000/–रु. के बंध–पत्र एवं इतने ही राशि के दो प्रतिभू दाखिल करने पर विद्वान अधीनस्थ न्यायालय के संतोषप्रद समाधान पर धारा– 482(2) बी.एन.एस.एस. के शर्तो के अधीन इस शर्त के साथ मुक्त किए जाने का आदेश दिया जाता है कि आवेदकगण अनुसंधान में सहयोग करेंगे।

लेखापित

ह0/–
सत्र न्यायाधीश,
पूर्वी चम्पारण,मोतिहारी।
दिनांक 17.03.2026